नाइलिट

शक्तियों का प्रत्यायोजन

(24 अगस्त 2015 से प्रभावी)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
(एक आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

विषय-सूची

प्रस्तावना

प्रारम्भ

परिदृश्य

संगठनात्मक पदक्रम

शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) क्या है?

प्रत्यायोजक एवं प्रत्यायिती

तात्कालिक मामले

भारत सरकार के दिशा-निर्देश (सीवीसी/जीएफआर/अन्य)

शब्दावली

डीओपी - प्रशासनिक अनुमोदन

डीओपी - वित्तीय अनुमोदन

डीओपी - एचआर एवं पीए अनुमोदन

इस पुस्तिका की प्रतिलिपि अनधिकृत रूप में बनाना प्रतिबंधित है। विधिवत रूप में संख्यांकित प्रतियाँ वांछित प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई है (दस्तावेज सं.नाइलिट/डीओपी/2015/1301040034)

प्रस्तावना

नाइलिट का प्रयास हमेशा ही कार्य संस्कृति तथा निर्णय तंत्र में सुधार लाना रहा है। मंत्रिमण्डल सचिव के दिनांक 5 जून 2014 को अर्धशासकीय पत्र (जिसमें माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा सभी सचिवों के साथ की गई चर्चा की रूपरेखा दी गई है) के अनुसार कार्य योजना के एक भाग के रूप में, नाइलिट के वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा करने के प्रयोजन से प्रबंध मण्डल द्वारा प्रस्तावित समिति का अनुमोदन अधिशासी परिषद की दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को आयोजित 32वीं बैठक में किया गया।

तदनुसार, अपर सचिव (ई-शासन), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक मई-जून, 2015 में आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रबंध निदेशक, नाइलिट सदस्य थे । उक्त समिति द्वारा सिफारिशें करते समय नाइलिट द्वारा हाल के वर्षों में हासिल की गई उच्च वृद्धि पर विचार करने के साथ-साथ इसके प्रचालन के क्षेत्रों के अभिवृद्धि को भी ध्यान में रखा गया, जिसमें विकास को जारी रखने तथा क्षमता निर्माण के उपायों के कार्यान्वयन के लिए शक्तियों को तर्कसंगत बनाने/स्वायत्तता प्रदान करने की जरूरत थी।

मुझे पाठकों को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि नाइलिट में प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पारदर्शिता में सुधार लाने, जवाबदेही को बढ़ावा देने तथा 'फोर्स-मल्टीप्लायर' के रूप में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं।

'गुणवत्ता एक सफर है, गन्तव्य नहीं', और इस कारण हमारा यह प्रयास रहा है कि आन्तरिक ऑडिट के माध्यम से लेखांकन एवं जवाहदेही के मानकों में सुधार किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि डाक एवं दूरसंचार विभाग के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा में विद्यमान शक्तियों के प्रत्यायोजन में पाई गई विसंगतियो/अस्पष्टताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें संशोधन करने का भी सुझाव दिया गया था। यह संशोधन नए प्रतिमान के अनुसार भी है, जिसमें डिजिटल भारत, भारत में निर्माण, कुशल भारत तथा भारत सरकार के इसी प्रकार के भावी कार्यक्रमों के जरिए भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की अभिकल्पना की गई है।

इस अवसर पर मैं, नाइलिट की ओर से, माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संयुक्त सचिव (प्रशासन), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति उनके मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं पूरी तरह आशा करता हूँ कि माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (अध्यक्ष, अधिशासी परिषद, नाइलिट) के अनुमोदन से दिनांक 24 अगस्त, 2015 से संशोधित इस शक्तियों के प्रत्यायोजन का अनुपालन सद्भावना पूर्वक और ईमानदारी से किया जाएगा। प्रयोग में आसानी एवं अभिगम्यता के लिए इस डीओपी को प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय अनुमोदन तथा एचआर एवं पीए अनुमोदन में वर्गीकृत किया गया है और रंगीन कोड दिए गए हैं।

(डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा)
प्रबंध निदेशक, नाइलिट

प्रारम्भ

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक निकाय है। नाइलिट का प्रारम्भ वर्ष 1995 में डीओईएसीसी सोसायटी के रूप में हुआ। दिसम्बर, 2002 में आरसीसी, चण्डीगढ़; आरसीसी, कोलकाता; तथा औरंगाबाद, गोरखपुर, कालीकट, इम्फाल, आइज़ॉल, तेजपुर/गुवाहाटी और श्रीनगर/जम्मू स्थित सीईडीटीआई का विलय डीओईएसीसी सोसायटी के साथ किया गया। इस विलयन के पश्चात, संस्था पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मानव संसाधन विकास शाखा के रूप में सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्यगिकी (आईईसीटी) के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा संबद्ध कार्यकालाप करने का दायित्व सौंपा गया। दिसम्बर, 2011 में डीओईएसीसी सोसायटी का नाम बदलकर नाइलिट रखा गया।

परिदृश्य

नाइलिट सूचना प्रौद्योगिकी; इलेक्ट्रॉनिकी; संचार प्रौद्योगिकियों; हार्डवेयर; साइबर कानून; साइबर सुरक्षा; आईपीआर; जीआईएस; क्लाउड कम्प्यूटिंग; ईएसडीएम; ई-शासन तथा संबद्ध विषयों पर अच्छी क्वालिटी के मानव संसाधन विकास से संबधित कार्यों से सक्रिय रूप में जुड़ा हुआ है। नाइलिट शिक्षण के औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में पाठ्यक्रम चलाता है और यह एक राष्ट्रीय परीक्षा निकाय भी है, जो अनौपचारिक क्षेत्र में पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्थानों/संगठनों का प्रत्यायन करता है।

नाइलिट को विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधनों का सृजन करने के उद्देश्य से आईसीटी में क्षमता निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें रोजगार एवं स्व-रोजगार से जुड़े गुणवत्तापूर्ण एवं कम कीमत वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के साथ-साथ विशेष रूप से देश के ग्रामीण/अविकसित क्षेत्रों के जनसामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता कार्यक्रम शामिल है। कई राज्य सरकारों के लिए अपने कर्मचारियों तथा जनसामान्य में सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता कार्यक्रम चलाने के लिए नाइलिट एक तरजीही एजेंसी भी है।

नाइलिट का संगठनात्मक पदक्रम

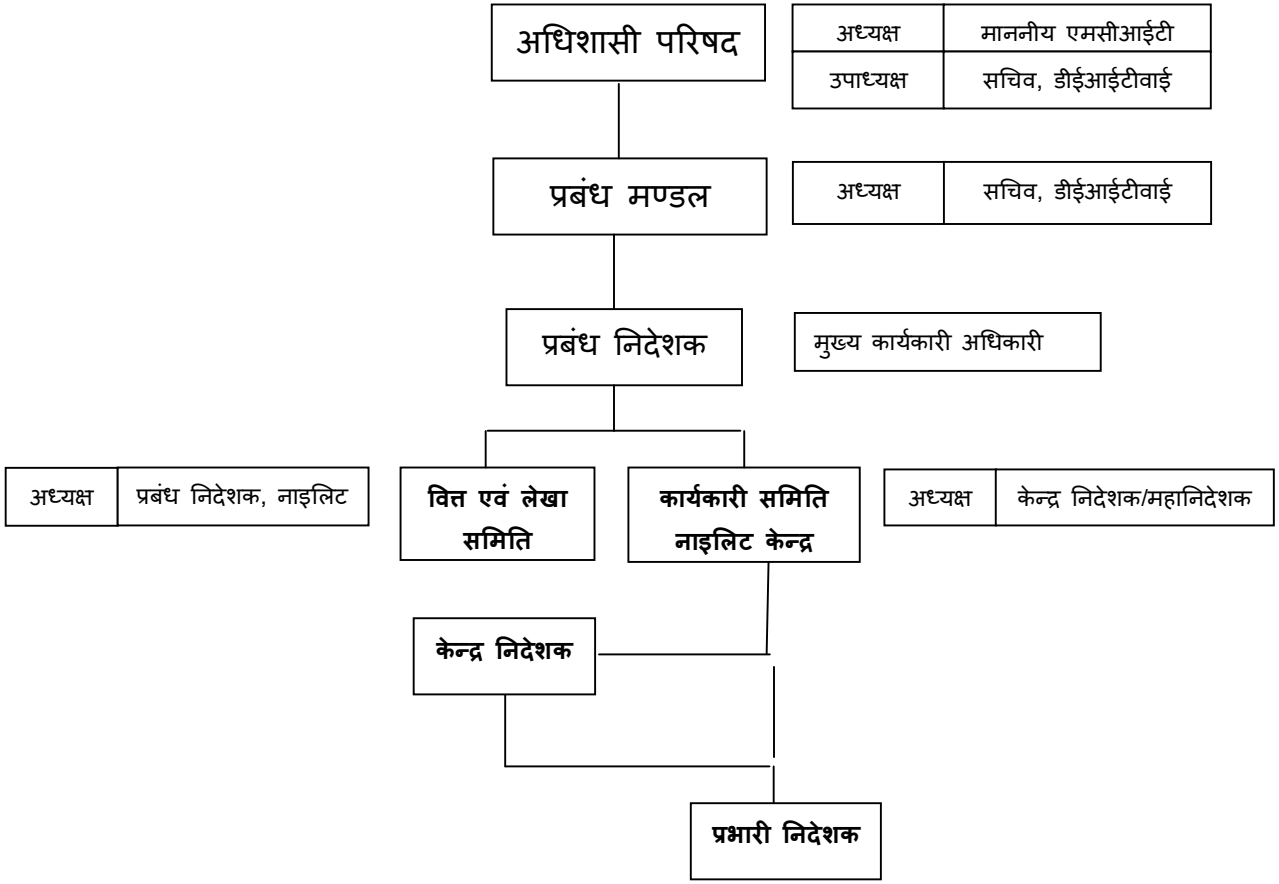

शक्तियों का प्रत्यायोजन क्या है?

प्रत्यायोजन किसी दूसरे व्यक्ति को कोई विशिष्ट कार्यकलाप करने का दायित्व अथवा प्राधिकार (साधारणतया नीति निर्धारकों/शीर्ष प्रबंध-वर्ग से प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वरिष्ठ प्रबंध-वर्ग से अधीनस्थ अधिकारी को) सौंपे जाने को कहा जाता है। प्रत्यायोजन से अधीनस्थ अधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है अर्थात इससे निर्णय-तंत्र का प्राधिकार एक संगठनात्मक स्तर से निचले स्तर पर चला जाता है। यदि प्रत्यायोजन समुचित रूप में किया जाए तो इससे अधिकार-त्याग नहीं हो जाता है। सामान्य रूप में, प्रत्यायोजन अच्छा होता है और इससे धनराशि तथा समय की बचत हो सकती है, कुशलता तैयार करने में सहायता मिल सकती है, और व्यक्तियों को प्रेरणा प्रदान किया जा सकता है।

प्रत्यायोजक एवं प्रत्यायिती

प्रत्यायिती की शक्तियाँ वे होती हैं जो वस्तुतः प्रत्यायोजक की होती हैं और प्रत्यायोजन के बल पर उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का न्यायिक स्वरूप वही होगा जैसे कि उसे प्रत्यायोजक द्वारा ही किया गया हो। अतः प्रत्यायोजन से यह नहीं समझना चाहिए कि अनुमति या प्राधिकार दिया गया है, बल्कि यह शक्तियों का हस्तान्तरण है।

जब प्रत्यायोजन कानूनी रूप में किया जाए तब कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यह नोट किया जाए कि जब प्रत्यायोजन विद्यमान विधियों के अनुसार प्राधिकृत है तब भी यह कुछ विशिष्ट शर्तों के अधीन रहता है। प्रथमतः प्रत्यायोजन के प्रयोग के अधिकार का अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, जिन कार्रवाइयों को करने के अधिकार का प्रत्यायोजन किया जाए उनका उल्लेख स्पष्ट रूप में किया जाना चाहिए। अन्ततः प्रत्यायोजन अवश्य ही एक निश्चित समयावधि तक सीमित होना चाहिए।

तात्कालिक मामले

नाइलिट (पूर्वतन डीओईएसीसी सोसायटी) के उप-नियम की क्रम संख्या 15 के अनुसार, अधिशासी परिषद/मण्डल/समिति का अध्यक्ष तात्कालिक मामलों में या विशेष परिस्थितियों में अधिशासी परिषद/मण्डल/समिति के एक या अधिक सदस्यों के साथ परामर्श करके तथा अधिशासी परिषद/मण्डल/समिति के वित्तीय सदस्य के साथ परामर्श करके परिषद/मण्डल की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसे सभी मामलों की सूचना परिषद/मण्डल/समिति की अगली बैठक में दी जाएगी।

भारत सरकार के दिशा-निर्देश (सीवीसी/जीएफआर/अन्य)

सरकारी खजाने से कोई व्यय करते समय, विभाग प्रमुखों/कार्यालय प्रमुखों को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्तीय औचित्य तथा कठोर किफायत को ध्यान में रखते हुए अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात का सुनिश्चय किया जाना चाहिए कि संगत वित्तीय नियमों तथा विनियमों जैसे कि शक्तियों का प्रत्यायोजन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 तथा समय-समय पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों का अनुपालन किया जाए। सरकारी खरीद के विभिन्न चरणों पर निरोधक उपायों के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने संबद्ध अनुदेश एवं जाँच-सूची जारी की हैं। यह भी सुझाव दिया जाता है कि सभी संगठनों द्वारा समुचित शक्तियों का प्रत्यायोजन तैयार किया जाना आवश्यक है, जिससे निर्णय-तंत्र में एक व्यवस्थित एवं एकसमान दृष्टिकोण उपलब्ध हो। इसमें खरीद के कोड/कार्यों का मैनुअल तैयार करना भी शामिल है, जिसमें खरीद/कार्य की पद्धति तथा दिशा-निर्देश शामिल हों। ऐसे एक एकीकृत दृष्टिकोण से न केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है बल्कि निर्णय की प्रक्रिया भी आसान एवं तेज सुनिश्चित होती है।

शब्दावली

अधिशासी परिषद	संस्था का शीर्षस्थ नीति निर्धारक निकाय। इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, संस्था के प्रशासन एवं प्रबंध का दायित्व परिषद पर होगा। इसमें अध्यक्ष को मिलाकर दस से अन्यून लेकिन सत्रह से अनधिक सदस्य शामिल होंगे। माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसके अध्यक्ष हैं तथा सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं एलं नाइलिट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव हैं।
प्रबंध मण्डल	यह अधिशासी परिषद की कार्यकारी शाखा है और संस्थापन प्रलेख में उल्लिखित संस्था के उद्देश्यों के अनुसार परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए नीतियाँ तैयार करेगा। सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसके अध्यक्ष हैं और संयुक्त सचिव (संस्था प्रभाग), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसके सदस्य तथा नाइलिट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव हैं। दो सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष, अधिशासी परिषद द्वारा किया जाता है तथा नाइलिट केन्द्रों के तीन निदेशक बारी-बारी से विशेष आमंत्रिती रहते हैं।
प्रबंध निदेशक	संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अपने कार्यों के लिए सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (उपाध्यक्ष, अधिशासी परिषद तथा अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल, नाइलिट) के प्रति जिम्मेदार रहते हैं।

कार्यकारी समिति	नाइलिट केन्द्रों की समिति जिसका गठन केन्द्र के रोजमर्रा के कार्यकलापों के प्रभावी प्रबंध के लिए किया जाता है और इसमें संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि (कम से कम दो सदस्य), स्थानीय उद्योग तथा राज्य के शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि और रजिस्ट्रार/मुख्य वित्त अधिकारी तथा केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी/वित्त अधिकारी शामिल होते हैं।
निदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भिन्न 10,000/- रु. अथवा 8,900/- रु. ग्रेड वेतन का अधिकारी, जो अपने कार्यों के लिए प्रबंध निदेशक के प्रति जिम्मेदार रहते हैं।
प्रभारी निदेशक	केन्द्र निदेशक से भिन्न 7,600/- रु. या उससे अधिक ग्रेड वेतन का अधिकारी, जो अपने कार्यों के लिए केन्द्र निदेशक / प्रबंध निदेशक के प्रति जिम्मेदार रहते हैं।

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
प्रशासनिक अनुमोदन								
1.	i)	विदेशों से वित्तीय अभिदान प्राप्त करना।	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-	-
	ii) क	प्रायोजित परियोजनाएँ स्वीकार करना तथा अनुदान प्राप्त करना।	पूर्ण शक्तियाँ	जिनका मूल्य 50 लाख रु. तक है उनमें पूर्ण शक्तियाँ।	-	-	-	-
	ii) ख	देश के अन्दर से अंशदान या अन्य वित्तीय अभिदान स्वीकार/प्राप्त करना।	पूर्ण शक्तियाँ	-	जिनका मूल्य 20 लाख रु. तक है उनमें पूर्ण शक्तियाँ। (प्रबंध मण्डल को इसकी सूचना दी जाएगी)	-	-	-
2.	संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मामले में विदेशों के दौरे/प्रशिक्षण का अनुमोदन		पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, अधिशासी परिषद	-	-	-	-	-
3.	भूमि/भवन/निर्मित स्थान की खरीद/निपटान		पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-		
4.	भवन निर्माण, अभ्यंतर निर्माण अथवा स्थल निर्माण का अनुमोदन।		-	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में 1000.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 100.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 25.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।
5.	प्रत्येक श्रेणी के बीच निधियों का पुनःसमायोजन अर्थात पूँजीगत तथा राजस्व अथवा विपरीत।		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	बजट/परियोजना की समग्र स्थिति के अन्दर कार्यकारी समिति के अनुमोदन से पूर्ण शक्तियाँ।	-

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
प्रशासनिक अनुमोदन								
6.		कार्यालय उपस्कर सहित भण्डार, फर्नीचर, सामग्रियों, उपस्करों आदि को अप्रयोज्य/ पुरानी घोषित करना तथा उनके निपटान की पद्धति और निपटान के कारण हानि को बट्टे खाते डालने का अनुमोदन करना।	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले/ प्रस्ताव पर 5.00 लाख रु. के मूल्यह्रास मूल्य तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले/प्रस्ताव पर 3.00 लाख रु. के मूल्यह्रास मूल्य तक पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले/ प्रस्ताव पर 2.00 लाख रु. के मूल्यह्रास मूल्य तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले/ प्रस्ताव पर 1.00 लाख रु. के मूल्यह्रास मूल्य तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले/ प्रस्ताव पर 1.00 लाख रु. के मूल्यह्रास मूल्य तक पूर्ण शक्तियाँ।
7.		चोरी, धोखाधड़ी अथवा व्यक्तियों की लापरवाही के कारण भण्डार, फर्नीचर, सामग्री, उपस्कर आदि की अप्रतिलभ्य हानि को बट्टे खाते डालना।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 2.00 लाख रु. से अधिक है।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 1.00 लाख रु. से अधिक तथा 2.00 लाख रु. तक है।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 0.50 लाख रु. से अधिक तथा 1.00 लाख रु. तक है। सभी मामलों की सूचना प्रबंध मण्डल को दी जाएगी।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 0.50 लाख रु. तक है।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 0.05 लाख रु. से अधिक नहीं है। सभी मामलों की सूचना कार्यकारी समिति को दी जाएगी।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 0.05 लाख रु. से अधिक नहीं है। सभी मामलों की सूचना कार्यकारी समिति को दी जाएगी।
8.		चोरी, धोखाधड़ी अथवा व्यक्तियों की लापरवाही से भिन्न कारणों से भण्डार, फर्नीचर, सामग्री, उपस्कर आदि की हानि को बट्टे खाते डालना।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 2.00 लाख रु. से अधिक है।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 2.00 लाख रु. तक है।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं है। सभी मामलों को प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 0.75 लाख रु. से अधिक नहीं है।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 0.10 लाख रु. से अधिक नहीं है। सभी मामलों की सूचना कार्यकारी समिति को दी जाएगी।	पूर्ण शक्तियाँ, जहाँ प्रत्येक वस्तु का मूल मूल्य 0.10 लाख रु. से अधिक नहीं है। सभी मामलों की सूचना कार्यकारी समिति को दी जाएगी।

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
प्रशासनिक अनुमोदन								
9.	राजस्व की हानि अथवा अप्रतिलभ्य ऋण एवं पेशगियों को बट्टे खाते डालना।		पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ जहाँ प्रत्येक मामले में राशि 0.50 लाख रु. से अधिक तथा 5.00 लाख रु. तक है।	पूर्ण शक्तियाँ जहाँ प्रत्येक मामले में राशि 0.20 लाख रु. से अधिक तथा 0.50 लाख रु. तक है।	पूर्ण शक्तियाँ जहाँ प्रत्येक मामले में राशि 0.20 लाख रु. तक है।	पूर्ण शक्तियाँ जहाँ प्रत्येक मामले में राशि 0.05 लाख रु. तक है।	पूर्ण शक्तियाँ जहाँ प्रत्येक मामले में राशि 0.05 लाख रु. तक है।
10.	i)	कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण पर भेजना।	-	पूर्ण शक्तियाँ	एक वर्ष तक के मामलों में पूर्ण शक्तियाँ। एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रबंध मण्डल के अनुमोदन से।	-	3 महीने तक के मामलों में पूर्ण शक्तियाँ।	3 महीने तक के मामलों में पूर्ण शक्तियाँ।
	ii)	कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण/दौरे पर भेजना।	पूर्ण शक्तियाँ - 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन में निदेशकों के लिए अध्यक्ष, अधिशासी परिषद	-	तीन महीने तक की अवधि के लिए स्वयं/ निदेशक (10,000/- रु. का ग्रेड वेतन) को छोड़कर पूर्ण शक्तियाँ। तीन महीने से अधिक अवधि के मामलों में प्रबंध मण्डल के अनुमोदन से।	-	-	-
11.	प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक व्यय।		-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ - परियोजना की लागत के 20% तक।	पूर्ण शक्तियाँ - परियोजना की लागत के 10% तक	पूर्ण शक्तियाँ - मूल अनुमोदन तक।	पूर्ण शक्तियाँ - मूल अनुमोदन तक।

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
प्रशासनिक अनुमोदन								
12.		अनुबंधों की समय-सीमा को आगे बढ़ाने की अनुमति, जिसमें लक्ष्य में परिवर्तन शामिल है और जिस कारण दण्ड आदि में कमी।	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ - 2,500 लाख रु. मूल्य तक के अनुबंधों के मामले में।	पूर्ण शक्तियाँ - 200 लाख रु. मूल्य तक के अनुबंधों के मामले में।	पूर्ण शक्तियाँ - 100 लाख रु. मूल्य तक के अनुबंधों के मामले में।	पूर्ण शक्तियाँ - 50 लाख रु. मूल्य तक के अनुबंधों के मामले में।	-
13.		संस्था की सुविधाओं का साझा करने के लिए प्रयोक्ताओं के चयन की नीति का अनुमोदन।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-
14.		संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से धनराशि ऋण पर लेने या जुटाने के प्रस्तावों का अनुमोदन तथा प्राधिकार देना।	प्रस्ताव के अनुमोदन की पूर्ण शक्तियाँ।	प्राधिकार देने की पूर्ण शक्तियाँ।	-	-	-	-
15.		संस्था द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों/ उत्पादों के लिए संयुक्त उद्यम, गठजोड़ तथा अन्य ऐसे तंत्र स्थापित करने के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन जिससे इनका पूरा उपयोग किया जा सके तथा बाजार का विकास किया जा सके।	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	-		-
16.		समुचित तंत्र के माध्यम से भविष्य निधि तथा ऐसी निधियाँ स्थापित करने एवं सम्भालने के लिए दिशा-निर्देशों का अनुमोदन करना जो संस्था के प्रयोजनों से आवश्यक है।	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-
17.		संस्था की समेकित निधि से केन्द्रों को ब्याज रहित ऋण का आबंटन करना।	-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ - प्रत्येक मामले में 200 लाख रु. तक।	-	-	-

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
प्रशासनिक अनुमोदन								
18.	संस्था के कामकाज तथा इसके विभिन्य कार्यकलापों को सरल बनाने की कार्यपद्धति का अनुमोदन करना जिसमें मानव संसाधन विकास, वित्त, प्रशासनिक आदि मामले शामिल हैं तथा भारत और विदेशों में संस्था के कार्यकलापों में सक्षम व्यक्तियों की प्रतिभागिता।		--	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-
19.	i)	नए स्थानों पर संस्था की नई इकाइयाँ खोला जाना।	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-	-
	ii)	किसी परियोजना के अन्तर्गत तीन महीने के लिए अस्थायी कार्यालय खोलना या एक ही शहर के अन्तर्गत कार्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाना।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-
20.	पात्रता से उच्चतर श्रेणी में यात्रा का अनुमोदन।		-	पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल।	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर।	-	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर केवल एक उच्चतर स्तर के लिए (कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे)।	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर केवल एक उच्चतर स्तर के लिए (कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे)।
21.	कर्मचारी नियम में निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत/ चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों को स्वीकार करना।		-	-	सरकारी नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ।	-	सरकारी नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ।	सरकारी नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ।

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
प्रशासनिक अनुमोदन								
22.	परिलब्धियों सहित अथवा उसके बिना प्रशिक्षुओं का नियोजन/इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार।		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
23.	संस्था की ओर से सभी समझौतों, अनुबंधों आदि का निष्पादन, स्वयं और संस्था के बीच कानूनी दस्तावेज सहित समझौतों आदि को छोड़कर।		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	केन्द्र द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ।	केन्द्र द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ।
24.	संस्था के किसी अधिकारी को कोई एक या सभी शक्तियों का प्रत्यायोजन।		-	-	प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित शक्तियों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ।	-	प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से निदेशक को प्रत्यायोजित शक्तियों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ।	प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से प्रभारी निदेशक को प्रत्यायोजित शक्तियों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ।
25.	जिन पदों पर नियुक्ति करने की शक्तियाँ उपलब्ध हैं उनके लिए कर्मचारियों की दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन।		पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, अधिशासी परिषद।	-	पूर्ण शक्तियाँ स्वयं को छोड़कर।	-	पूर्ण शक्तियाँ स्वयं को छोड़कर वर्ग 'ख' अधिकारियों तक।	-
26.	i)	दूसरे संगठनों द्वारा गठित समितियों में कर्मचारियों के नामांकन का अनुमोदन।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ स्वयं को छोड़कर	पूर्ण शक्तियाँ स्वयं को छोड़कर
	ii)	संस्था के कार्यों के प्रभावी संचालन के लिए आन्तरिक/ बाह्य सदस्यों को शामिल करते हुए विभिन्न समितियों/उप-समितियों का गठन।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
प्रशासनिक अनुमोदन								
27.		आईईसीटी परियोजनाओं/ परामर्श सेवाओं तथा संस्था के अन्य उद्देश्यों के लिए खुली निविदा/सीमित निविदा/एकल निविदा के उत्तर में बोली प्रस्तुत करना।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ - ऐसे सभी मामलों की सूचना कार्यकारी समिति तथा प्रबंध निदेशक को दी जाएगी।	पूर्ण शक्तियाँ - ऐसे सभी मामलों की सूचना कार्यकारी समिति तथा प्रबंध निदेशक को दी जाएगी।
28.		खरीद के प्रयोजन से सभी चालू दर अनुबंधों/ डीजीएसएण्डडी दर अनुबंधों का अनुमोदन।	-	-	प्रत्येक मामले में 300.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 75.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 35.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 20.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।
29		स्वत्वधारी वस्तुओं के संबंध में एकल निविदा/एकल दर-सूची का अनुमोदन।	-	पूर्ण शक्तियाँ	प्रत्येक मामले में 150.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 25.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	-
30.		सुरक्षा जमा राशि/ईएमडी तथा जमानती राशि की वापसी।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
31.		दूसरे संगठनों/फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षित पेशगी की मंजूरी।	-	पूर्ण शक्तियाँ, अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल।	पूर्ण शक्तियाँ जिनके लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित हैं।	-	पूर्ण शक्तियाँ जिनके लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित हैं।	पूर्ण शक्तियाँ जिनके लिए शक्तियाँ प्रत्यायोजित हैं।
32.		समाशोधन एजेंटों की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार समाशोधन एजेंटों के दावों के भुगतान का प्राधिकरण।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	
33.		संस्था के प्रयोग तथा कर्मचारियों के आवास के प्रयोजन से भवन पट्टे/किराए पर लेना।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	प्रति माह 2.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रति माह 2.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
वित्तीय अनुमोदन								
34.	i)	सेवाओं के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों का अनुमोदन।	-	-	वित्त एवं लेखा समिति के अनुमोदन से पूर्ण शक्तियाँ।	-	-	-
	ii)	नाइलिट द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं के प्रशुल्क दरों का निर्धारण	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-
35.	i)	नया बैंक खाता खोलना।	-	-	किसी भी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक के मामले में पूर्ण शक्तियाँ। ऐसे सभी मामलों की सूचना प्रबंध मण्डल को दी जाएगी।	-	-	-
	ii)	बैंक दस्तावेजों/चेक का प्रचालन एवं हस्ताक्षर करना।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ। प्रबंध मण्डल को सूचना दी जाएगी।	-	केन्द्र/विस्तार केन्द्र के मामले में पूर्ण शक्तियाँ। सूचना प्रबंध मण्डल को दी जाएगी।	केन्द्र/विस्तार केन्द्र के मामले में पूर्ण शक्तियाँ। सूचना प्रबंध मण्डल को दी जाएगी।
36.	मुख्यालय की अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारी कल्याण व्यय।		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	केन्द्र के कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ	केन्द्र के कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
वित्तीय अनुमोदन								
37.	अपवादात्मक मामलों में दौरे पर किए गए ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति को स्वीकार करना जो नियमों में शामिल नहीं हैं, जिसके कारण अभिलिखित किए जाएंगे।		-	पूर्ण शक्तियाँ- प्रबंध निदेशक के मामले में अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल।	नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ लेकिन शर्त यह है कि अन्तर सामान्य पात्रता से 25% से अधिक नहीं है।	-	नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ लेकिन शर्त यह है कि अन्तर सामान्य पात्रता से 10% से अधिक नहीं है।	नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ लेकिन शर्त यह है कि अन्तर सामान्य पात्रता से 10% से अधिक नहीं है।
38.	बैठकों, सम्मेलनों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों आदि के दौरे के समय जलपान व्यय, मध्याह्न भोजन पर व्यय की मंजूरी।		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 3.00 लाख रु. मूल्य तक सीमित।	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 3.00 लाख रु. मूल्य तक सीमित।
39.	i)	नाइलिट के नियमों के अधीन टीए/डीए (स्थानीय एवं विदेश), एलटीसी, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, संतान शिक्षा भत्ता, समाचार-पत्र, जर्नल, सरकारी प्रयोजनों से वाहन व्यय/किराया प्रभार, डाक व्यय, टेलीफोन/मोबाइल आदि जैसे व्यय की प्रतिपूर्ति की मंजूरी की स्वीकृति।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	केन्द्र के कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ।	केन्द्र के कर्मचारियों के मामले में पूर्ण शक्तियाँ।
	ii)	संस्था के नियमों के अनुसार कर्मचारियों को अग्रदाय सहित सभी पेशगियों की मंजूरी की स्वीकृति।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
वित्तीय अनुमोदन								
	iii)	नाइलिट के नियमों के अधीन संस्था के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता की मंजूरी की स्वीकृति।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
40.	सरकारी प्रयोजनों से फर्नीचर, पीसी या किसी भी किस्म के उपस्कर को किराए पर लेना।		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
41.	कानूनी व्यय		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 1.00 लाख रु. तक सीमित।	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 0.50 लाख रु. तक सीमित।
42.	फर्नीचर, उपस्कर, वाहन आदि की मरम्मत तथा अनुरक्षण।		-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 100.00 लाख रु. तक।	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 75.00 लाख रु. तक।	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 35.00 लाख रु. तक।	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 25.00 लाख रु. तक।
43.	उपस्करों के लिए एएमसी करवाना।		-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 200.00 लाख रु. तक।	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 100.00 लाख रु. तक।	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रु. तक।	पूर्ण शक्तियाँ, प्रत्येक मामले में 25.00 लाख रु. तक।
44.	आवर्ती/अनावर्ती आकस्मिक व्यय जो उपर्युक्त नियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं।		-	-	नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ।	-	नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ लेकिन 0.50 लाख रु. प्रति माह की समग्र सीमा के अधीन (प्रबंध	नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ लेकिन 0.50 लाख रु. प्रति माह की समग्र सीमा के अधीन (प्रबंध

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
				वित्तीय अनुमोदन				
							निदेशक को सूचना दी जाएगी)।	निदेशक को सूचना दी जाएगी)।
45.		किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, किन्हीं अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में अल्पावधि/ दीर्घावधि आधार पर संस्था की निधियों का निवेश करना।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ- सरकार/ अधिशासी परिषद/ प्रबंध मण्डल/वित्त एवं लेखा समिति द्वारा निर्धारित समग्र दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत।	-	पूर्ण शक्तियाँ- सरकार/अधिशासी परिषद/प्रबंध मण्डल/वित्त एवं लेखा समिति द्वारा निर्धारित समग्र दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत।	पूर्ण शक्तियाँ- सरकार/अधिशासी परिषद/प्रबंध मण्डल/वित्त एवं लेखा समिति द्वारा निर्धारित समग्र दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत।
46.		पट्टाकृत आवास सुविधा का मंजूरी।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-
47.		वाहनों को अनुपयोगी घोषित करना अथवा अनुपयोगी घोषित वाहन के बदले नए वाहन की खरीद/नई खरीद।	-	-	सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ, जिसकी सूचना प्रबंध मण्डल को दी जाएगी।	-	-	-
48.		आउटसोर्स किए जाने वाले कार्यकलापों के एक भाग के रूप में रसोई/ कैन्टीन/ सुरक्षा सेवा/साफ-सफाई/समाशोधन सेवा आदि की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अनुबंध प्रदान करना।	-	पूर्ण शक्तियाँ	200.00 रु. तक पूर्ण शक्तियाँ, 200.00 लाख रु. से अधिक के मामलों में प्रबंध मण्डल के अनुमोदन से।	प्रत्येक मामले में 100.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 25.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।
49.		जिन मामलों में वैध निविदा प्राप्त हुए हैं उनमें तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त न्यूनतम प्रस्ताव का अनुमोदन तथा	-	पूर्ण शक्तियाँ	200.00 रु. तक पूर्ण शक्तियाँ, 200.00 लाख रु. से अधिक के	प्रत्येक मामले में 100.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रु. तक पूर्ण	प्रत्येक मामले में 25.00 लाख रु. तक पूर्ण

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
वित्तीय अनुमोदन								
		अनुबंध प्रदान करना।			मामलों में प्रबंध मण्डल के अनुमोदन से।		शक्तियाँ।	शक्तियाँ।
50.		नकद खरीद	-	-	जीएफआर के मानदण्डों के अनुसार	-	जीएफआर के मानदण्डों के अनुसार	जीएफआर के मानदण्डों के अनुसार
51		विलम्ब-शुल्क का भुगतान	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	आदेश मूल्य के अधिकतम 10% तक पूर्ण शक्तियाँ	आदेश मूल्य के अधिकतम 10% तक पूर्ण शक्तियाँ
52.		प्रेस एवं प्रचार-प्रसार सामग्रियों सहित विज्ञापन प्रभार।	-	पूर्ण शक्तियाँ	डीएवीपी की दरों पर प्रत्येक मामले में 75.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	-	डीएवीपी की दरों पर प्रत्येक मामले में 25.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।	डीएवीपी की दरों पर प्रत्येक मामले में 10.00 लाख रु. तक पूर्ण शक्तियाँ।
53.		निजी प्रयोजनों से सरकारी कार का प्रयोग।	-	-	भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ।	-	भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ।	भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ।

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
एचआर एवं पीए अनुमोदन								
54.		नियमित पदों का सृजन	पदों के सृजन की पूर्ण शक्तियाँ (सरकार के अनुमोदन से)।	-	-	-	-	-
55.		विशुद्धतः अनुबंध के आधार पर समेकित परिलब्धियों में व्यक्तियों को नियोजित करने की शक्तियाँ।	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	नाइलिट के कार्यकलापों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 50,000 रु. के समेकित वेतन पर एक वर्ष की अवधि के लिए और परियोजना कार्यकलापों के लिए प्रति व्यक्ति 1.00 लाख रु. प्रतिमाह के लिए पूर्ण शक्तियाँ। पारदर्शी नीति अपनाई जानी चाहिए।	नाइलिट के कार्यकलापों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 50,000 रु. के समेकित वेतन पर एक वर्ष की अवधि के लिए और परियोजना कार्यकलापों के लिए प्रति व्यक्ति 1.00 लाख रु. प्रतिमाह के लिए पूर्ण शक्तियाँ। पारदर्शी नीति अपनाई जानी चाहिए।
56.		पद समाप्त करना।	प्रबंध मण्डल की सिफारिशों पर पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-	-	-
	i)	वेतन बैण्ड 4, ग्रेड वेतन 10,000/ रु. तथा अधिक पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति।	पूर्ण शक्तियाँ - एसीसी के अनुमोदन से अध्यक्ष, अधिशासी	-	-	-	-	-

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
एचआर एवं पीए अनुमोदन								
57,			परिषद					
	ii)	वेतन बैण्ड 4, ग्रेड वेतन 10,000/ रु. पर केन्द्र निदेशक की नियुक्ति।	अध्यक्ष, अधिशासी परिषद	-	-	-	-	-
	iii)	वेतन बैण्ड 4, ग्रेड वेतन 8900/ रु. पर केन्द्र निदेशक की नियुक्ति।	-	अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल	-	-	-	-
	iv)	रजिस्ट्रार की नियुक्ति।	मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सिफारिश पर अध्यक्ष, अधिशासी परिषद तथा इसकी सूचना परिषद को दी जाएगी।	-	-	-	-	-
58.	क्र.सं. 57 से भिन्न स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करना।		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	केन्द्र के कर्मचारियों के मामले में वर्ग 'ख' तथा उससे नीचे	-
59.	विजिटिंग प्रोफेशनलों तथा समिति के सदस्यों, जो संस्था के कर्मचारी नहीं हैं, को मानदेय देने के संबंध में स्तर का अनुमोदन करना		-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	मुख्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पुर्ण शक्तियाँ	मुख्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पुर्ण शक्तियाँ

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
एचआर एवं पीए अनुमोदन								
60.	नियुक्ति पर नियमों के अनुसार उच्चतर वेतन/अतिरिक्त वेतन-वृद्धि की मंजूरी।		-	पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल	चयन समिति की सिफारिशों के अधीन क्र.सं. 58 पर उल्लिखित पदों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ	-	-	-
61.	परिवीक्षा अवधि पूरी करने की अनुमति।		पूर्ण शक्तियाँ - 10,000/- रु. तथा उससे ऊपर के ग्रेड वेतन में प्रबंध निदेशक के मामले में अध्यक्ष, अधिशासी परिषद।	पूर्ण शक्तियाँ - 8900/- रु. के ग्रेड वेतन में पदों के मामले में अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल।	पूर्ण शक्तियाँ - जिन पदों के मामले में प्रबंध निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी है।	-	पूर्ण शक्तियाँ - जिन पदों के मामले में निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी है।	-
62.		जिन पदों पर नियुक्ति की शक्तियाँ उपलब्ध हैं उनमें पदोन्नति	पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, अधिशासी परिषद।	पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल।	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	-
63.		जिन पदों पर नियुक्ति की शक्तियाँ उपलब्ध हैं उनमें त्याग-पत्र को स्वीकार किया जाना तथा सेवाएँ समाप्त करना।	पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, अधिशासी परिषद।	पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल।	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ	-
64.	i)	अनुशासनिक शक्तियाँ (बड़ा दण्ड)	पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, अधिशासी परिषद - जिन पदों के मामले में अध्यक्ष, अधिशासी परिषद नियुक्ति प्राधिकारी है।	पूर्ण शक्तियाँ - अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल - जिन पदों के मामले में अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल नियुक्ति प्राधिकारी है।	पूर्ण शक्तियाँ - जिन पदों के मामले में प्रबंध निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी है।	-	पूर्ण शक्तियाँ - जिन पदों के मामले में निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी है।	-

डीओपी क्र.सं	उप क्र.सं.	विषय	अधिशासी परिषद	प्रबंध मण्डल	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी समिति	निदेशक	प्रभारी निदेशक
एचआर एवं पीए अनुमोदन								
	ii)	अनुशासनिक शक्तियाँ (लघु दण्ड)	-	-	पूर्ण शक्तियाँ	-	पूर्ण शक्तियाँ - जिन पदों के मामले में निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी है।	पूर्ण शक्तियाँ - जिन पदों के मामले में प्रभारी निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी है।
65.	वेतन निर्धारण		-	-	नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	-	नियमों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ	-
66.	अर्जित छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियाँ (केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली)		-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर	-	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर
67.	आकस्मिक छुट्टी/प्रतिबंधित छुट्टी		-	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर	-	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर	पूर्ण शक्तियाँ, स्वयं को छोड़कर